आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

26/7/23

न्यायालय, **श्रीमती मनीषा तिर्की, विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची।**

एस०ए०आर०वाद सं०-488/14-15

(1) विपिन उराँव, पिता लोहरा उराँव
(2) अतिम उराँव, पिता स्व.फागु उराँव
निवास ग्राम–मधुकम, थाना सुखदेवनगर,
जिला राँची ... **प्रथम पक्षगण।**

बनाम

(1) सुगनेस भगत वो (2) राजपत्रित भगत वो
(3) धनिया भगताईन सभी के पिता स्व.
हरिचरण भगत, सभी निवासी–मधुकम.
थाना सुखदेवनगर, जिला राँची। .... द्वितीय पक्षगण।

आदेश

प्रथम पक्ष (1) विपिन उराँव, पिता लोहरा उराँव, (2) अतिम उराँव, पिता स्व.फागु उराँव, निवास ग्राम–मधुकम, थाना सुखदेवनगर, जिला राँची द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71"A" के अंतर्गत जमीन वापसी हेतु यह वाद दायर किया गया है। प्रथम पक्ष ने आरोप लगाया है कि उनकी निम्नांकित जमीन द्वितीय पक्ष गण 1) सुगनेस भगत वो (2) राजपत्रित भगत वो (3) धनिया भगताईन सभी के पिता स्व. हरिचरण भगत, सभी निवासी–मधुकम, थाना सुखदेवनगर, जिला राँची द्वारा छल प्रपंच से हडपकर दखल कर लिया है।

जमीन का विवरण

ग्राम	थाना नं.	खाता नं.	प्लॉट नं.	रकबा
मधुकम	204	69	346	09 डी.

आवेदक ने अपने आवेदन एवं शपथ पत्र में उल्लेख किया है कि प्रश्नगत जमीन शनीचरवा उराँव वो वहीरा उराँव के नाम से दर्ज है।

26/7/23

कृ०पृ०उल्टे

प्रथम पक्षगण अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। द्वितीय पक्षगण ने उपायुक्त से अनुमति प्राप्त किये बिना ही छल–प्रपंच से जबरन जमीन पर कब्जा कर प्रथम पक्ष.को बेदखल कर दिया है।

इसी को आधार मानते हुए कारण पृच्छा प्रस्तुत करने हेतु उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया तथा संबंधित अंचल अधिकारी से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

प्रथम पक्षगण ने अपने आवेदन एवं शपथ पत्र के माध्यम से कहा है कि उपरोक्त भूमि का खतियान में शनीचरवा उराँव वो वहीरा उराँव के नाम से दर्ज है, तथा खतियान की कैफियत में वहीरा उराँव के नाम से दर्ज पाया गया। बहीरा उराँव अपने पीछे भुवन उराँव को छोड गये। भुवन उराँव अपने पीछे दो पुत्र (1) लोहरा उराँव वो (2) फागु उराँव को छोड़ गये। लोहरा उराँव ने विपिन उराँव (आवेदक) एवं फागु उराँव ने अमित उराँव (आवेदक) को छोड़ गये। खतियानी रैयत के वंशज होने के नाते प्रथम पक्षगण के हिस्से वो अधिकार की भूमि है।

द्वितीय पक्षगण (1) सुगनेस भगत के साथ (2) राजपत्रित भगत वो (3) धनिया भगताईन पिता स्व. हरिचरण भगत प्रतिक्षेपक (Intervinor) बनते हुए लिखित ब्यान में कहा है कि विवादित भूमि खरीदगी द्वारा प्राप्त किया गया है। विवर्णित भूमि को वर्ष 1969 में विक्रेता मो. दुलारमनी उर्फ कबुतरी, पत्नी मंगल मुण्डा से धनिया भगताईन पति हरिचरण भगत ने विक्रय पत्र सं.–3277 / 1969 के माध्यम से प्राप्त किया गया है। तत्कालीन विक्रेता मो. दुलार मनी उर्फ कबुतरी, पत्नी मंगल मुण्डा ने वर्ष 1947 में बुअल उराँव, पिता बहीरा उराँव से विक्रय पत्र सं.–1106 / 1947 के माध्यम से प्राप्त किया गया था। धनिया भगताईन उक्त खरीदगी भूमि पर शांति पूर्वक दखलकार होकर अपने नाम से सलाना मालगुजारी भुगतान करती आ रही है। धनिया भगताईन अपने पीछे (1) पवित्री देवी (2) सरीता लकडा (3) बिन्दा खलखो (4) राजपत्रित भगत एवं (5) सुगनेश भगत (द्वितीय पक्ष गण)को छोड़ गयी है।

क्र०पृ०उ०

M- J 20/7/23

घनिया भगताईन द्वारा क्रय की गयी भूमि पर द्वितीय पक्षगण सपरिवार उक्त भूमि पर शांति पूर्वक दखल कब्जा में चले आ रहे है।

अतः उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर वाद को आदेश पर रखा गया। चूंकि विवादित भूमि का खतियान में शनीचरवा उराँव वो वहीरा उराँव के नाम से दर्ज है, तथा खतियान की कैफियत में वहीरा उराँव के नाम से दर्ज पाया गया, तथा खतियानी रैयत के वशंज बुअल उराँव, पिता बहीरा उराँव ने वर्ष 1947 में विक्रय पत्र सं.-1186/1947 के माध्यम से मो. दुलारमनी उर्फ कबुतरी, पत्नी मंगल मुण्डा को हस्तान्तरण कर दिया। मो. दुलारमनी उर्फ कबुतरी, पत्नी मंगल मुण्डा ने भी वर्णित भूमि को घनिया भगताईन पति हरिचरण भगत ने विक्रय पत्र सं.-3277/1969 के माध्यम से हस्तान्तरित कर दिया। द्वितीय पक्षगण धनिया भगताईन से उत्तराधिकारी होने के नाते वर्णित भूमि पर शांति पूर्वक दखलकार है और सलाना मालगुजारी भुगतान करते आ रहे है। जबकि विवादित भूमि को खरीदगी पट्टा के माध्यम से द्वितीय पक्षगण को हस्तान्तरित किया गया है। छल प्रपंच से विवादित जमीन हस्तान्तरण नहीं हुआ है।

चूंकि प्रश्नगत भूमि के अंतरण की तिथि वर्ष 1947 है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक के द्वारा लगभग 30 वर्षो के बाद भू-वापसी का यह वाद दायर की गयी है। जबकि छोटानागपूर काश्तकारी अधिनियम के धारा-71"A" के अन्तर्गत आवेदन 30 वर्षो के अन्दर ही दायर की जानी चाहिए। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, पटना, रांची बेंच के द्वारा प्रकाशित फैसला-C.W.J.C.No.-645/1979(R) मिटकु कोईरी बनाम बिहार सरकार एवं जगेश्वर तेली बनाम बिहार सरकार (1994)(1) पी०एल०जे०आर० पृ०-91, लुकस खरीया बनाम बड़ाईक बहादुर सिंह 2005(3) जे०सी०आर० पृ०-132 का हवाला दिया गया। इस सभी फैसलों में माननीय पटना उच्च न्यायालय,रॉची बेंच एवं माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड रॉची ने यह व्यवस्था दी है कि धारा-71"A" के अन्तर्गत आवेदन 30 वर्षो के अन्दर ही दायर की जा सकती है, एवं माननीय उच्चतम न्यायालय का Civil Appeal Nos. 2414-15 of 1999 Situ Sahu & Ors-Vrs-State of Jharkhand के आदेश दि.-10.09.2004 को निम्न आदेश पारित है-

26/7/23

"Chhotanagpur Tenancy Act, 1908, Section 71-A and 71-B Limitation Act, 1963, Article 65- Restoration of land To the members of Scheduled Tribe and Khatiyani holders-Sustainability of- Power under Section 71-A could have been exercised only within a reasonable time-Exercise of powers after lapse of 40 year against the period of limitation of 30 years under the Limitation Act- Not a reasonable time for-Application for restoration not maintainable वर्तमान वाद में भी आवेदन समय–सीमा के अन्दर दायर नहीं की गई है।

अतः माननीय उच्चतम एवं उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं विपक्षी द्वारा दाखिल साक्ष्य के आधार पर आवेदक का आवेदन काल–बाधित है। प्रश्नगत भूमि पर 71"A" लागू नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में आवेदक के आवेदन को खारिज करते हुए, इस वाद को समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

26/7/23

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

26/7/23

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

Digitally signed by MANISHA TIRKEY
Date: 2024.12.09 15:42:27 +05:30
Location: 192.168.51.130